उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 30/2019

कन्टेनर (ट्रक) संख्या–NL026-9011 के स्वमी बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
11-10-2019	–:: **आदेश** ::– अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या–60/2016 में दिनांक–13.06.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध उक्त अपील वाद दायर किया गया है। दिनांक–17.07.2019 को प्रविष्टि के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का बहस सुनने के उपरान्त वाद अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया तथा सुनवाई की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत् नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा किसी तरह का अपना दस्तावेज/कागजात प्रस्तुत करने हेतु मौका दिये बना राज्यसात की कार्रवाई की गई है। वाहन में लदा कोयला से संबंधित कागजात वैद्य है तथा अधिसूचित वन भूमि क्षेत्र के बाहर वाहन को जप्त किया गया है, जो न्यायोचित है। इन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए, अपील आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया हैं। सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा विधिवत् न्यायिक प्रक्रिया के तहत् आदेश पारित किया गया है। वन क्षेत्र पदाधिकारी, माण्डू प्रक्षेत्र द्वारा समर्पित अभियोजन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन में लदा कोयला अधिसूचित वन भूमि क्षेत्र से उत्खनित किया गया है। तत्पश्चात् जप्त वाहन एवं उस पर लदा कोयला को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात की कार्रवाई की गई है। इन्होंने अपील आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अभिलेख में संलग्न वन क्षेत्र पदाधिकारी, माण्डू वन प्रक्षेत्र द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन, जप्ती सूचि, अभियुक्त का दर्ज ब्यान का अवलोकन किया, स्पष्ट है कि :–	

(1) जप्त कन्टेनर ट्रक संख्या– NL-02G-9011 में लगभग 102 बोरिया पोड़ा कोयला लदा हुआ पाया गया है।

(2) प्रश्नगत् वाहन द्वारा अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि क्षेत्र मौजा– हेसागढ़ा, थाना– माण्डू अर्न्तगत प्लौट सं0– 373 से कोयले का उत्खनन कर अवैध परिवहन करने के आरोप में वन कर्मी/पदाधिकारी द्वारा जप्त वाहन एवं उस पर लदा कायेला को राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

(3) अपीलार्थी द्वारा जप्त वाहन में लदा कोयला से सम्बन्धित कोई वैद्य दस्तावेज/कागजात अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे वाहन में लदा कोयला संदिग्ध प्रतीत होता है।

(4) निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा विधिवत् न्यायिक प्रक्रिया के तहत् सुनवाई करते हुए जप्त वाहन में लदा कोयला को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के उल्लंघन के आरोप में धारा 52(iii) तहत् राज्यसात किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

273/विधि
23/03/2020

लेखापित एवं संशोधित।

11/10/19

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।